

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/2018/517

दिनांक:- 15.10.2018

—:आदेश:—

श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, नर्स प्रथम, जिला चिकित्सालय, धौलपुर जिनकी जन्म तिथि 18.10.1958 एवं नियुक्ति तिथि 14.08.1987 है को राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.10.2018 मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, नर्स प्रथम के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/2018/517

दिनांक:- 15.10.2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- भरतपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, धौलपुर।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर